

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 02 सन 2020
अनवान :-

1. कृष्ण कुमार पुत्र कुरडाराम जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरदास पुत्र श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कुरडदास पुत्र टिकमदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
2. श्योकरणदास पुत्र टिकमदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
3. गोपालदास पुत्र कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
4. राधेश्याम पुत्र कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
5. गुडडी पुत्री कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
6. सन्तोष कुमार पुत्री कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
7. शंकरदास पुत्र श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
8. शारदादेवी पुत्री श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
9. सिलोचना पुत्री श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
10. गीता पुत्री श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 95/82 की कुल 36.3940 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 रणछोडदास के जायज वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 है एवं कुरडदास के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी 1 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी संख्या 2 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2, 7, 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7, 10 के हक हिस्सा की भूमि है है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7, 10 बहिव

उपखण्डाधिकारी
नोहर

के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता टिकमदास पुत्र रणछोडदास के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 ,8 ,9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/बहन/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 95/82 की कुल 36.3940 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 रणछोडदास के जायज वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 है एवं कुरडदास के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी 1 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी संख्या 2 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,8 ,9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 व वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपरोक्त अधिकारी
दोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 95/82 की कुल 36.3940 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि टिकमदास पुत्र रणछोडदास के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के नाम से दर्ज है वादी के दादा टिकमदास पुत्र रणछोडदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7, 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के बाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 95/82 की कुल 36.3940 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 चारो बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2, 7, 10 चारो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार कारतकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिवक्ता (अधिसूची) स्व
नोहर (हनुमन्तगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्ण कुमार पुत्र कुरडाराम जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भंवरदास पुत्र श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कुरडदास पुत्र टिकमदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
2. श्योकरणदास पुत्र टिकमदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
3. गोपालदास पुत्र कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
4. राधेश्याम पुत्र कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
5. गुडडी पुत्री कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
6. सन्तोष कुमार पुत्री कुरडदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
7. शंकरदास पुत्र श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
8. शारदादेवी पुत्री श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
9. सिलोचना पुत्री श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
10. गीता पुत्री श्योकरणदास जाति स्वामी निवासी धानसिया तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 02 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 95/82 की कुल 36.3940 हैक्-भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है, में वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 चारो बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2, 7, 10 चारो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)